६ महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण

महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। हम इस पाठ में उनके द्‌वारा दिए गए इसी योगदान का अध्ययन करेंगे। साथ ही, महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून तथा अन्य कमजोर वर्गों के संदर्भ में निर्मित कानून का अध्ययन करेंगे।

इसे मालूम कर लें।

प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात।

अ.क्र.	जनगणना वर्ष	स्त्रियों का अनुपात
१.	१९५१	९४६
२.	१९६१	९४१
३.	१९७१	९३०
४.	१९८१	९३४
५.	१९९१	९२७
६.	२००१	९३३

प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात क्यों घट रहा है, इसके कारणों की खोज कीजिए।

भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। आज हम इक्कीसवीं शताब्दी में आ चुके हैं फिर भी पुरुषों की इस मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। महात्मा गांधीजी के सिद्‌धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का उपयोग करवा लिया। स्त्री स्वयंसेविकाएँ भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुँचीं। निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों के स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था। यह क्षेत्र बेगारमुक्त होने के कारण ही स्त्रियों को इस संकट से मुक्ति मिली।

स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण : जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महँगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। इन्हीं स्त्रियों ने वर्ष १९७२ में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे। समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था। ऐन दीवाली में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं की जबरदस्त कमी पैदा हो गई थी। मिट्टी का तेल महँगा हो गया था। फलतः महिलाओं ने इकट्‌ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला। इस आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण से भली-भाँति परिचित हो गई।

मृणाल गोरे

चिपको आंदोलन: स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष १९७३ में हुए चिपको आंदोलन द्‌वारा दिखाई दिया। हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्‌देश्य के लिए बड़ी मात्रा में काटे जाने वाले थे। इसके विरोध में चंडीप्रसाद भट्‌ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। स्त्रियों ने हाथ में हाथ गूँफकर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्‌धति अपनाई। पेड़ों की कटाई न हो; इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जातीं और पेड़ों को बचाने का प्रयास करतीं। इस प्रकार का स्वरूप इस आंदोलन का था। इसलिए इस आंदोलन को 'चिपको आंदोलन' कहते हैं। इस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा

सुंदरलाल बहुगुणा

गौरादेवी

में हिस्सा लिया था। इस परिसर की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। गौरी देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी का सहयोग प्राप्त हुआ।

शराब के विरोध में आंदोलनः वर्ष १९९२ में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में 'शराबपान विरोध आंदोलन' प्रारंभ हुआ। कालांतर में इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा सम र्थन मिला। शराब पीने की लत से घर के कर्ता-धर्ता व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है और परिवार के अन्य सभी लोगों पर संकट आ जाता है। इसका सब से बड़ा आघात परिवार की स्त्रियों को लगता है। शराब पीने की लत से दुख, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में हुए 'अरक' (अर्क) विरोध आंदोलन से लाभ प्राप्त हुआ।

आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप अरक (स्थानीय शराब) विक्रेताओं ने गाँव-गाँव में अरक की दूकानें खोलीं। गाँवों की निर्धन, परिश्रमी जनता शराब की आदी बन गई थी। उसी समय गाँव-देहातों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में 'सीतामा कथा' (सीता की कहानी) बताई जाती थी। इस कथा में बताया गया था कि सीता गाँववालों में जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोक-थाम करती है। वर्ष १९९२ में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबागुंटा गाँव में तीन युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए। इस घटना के बाद गाँव की सभी महिलाएँ इकट्ठी आईं। उन्होंने अरक बेचने वाली दूकाने बंद कर दीं। स्थानीय समाचारपत्र में यह समाचार आते ही गाँव-गाँव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। यह आंदोलन संपूर्ण राज्य में फैल गया। परिणामतः सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में कड़ी नीति अपनाई।

अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष : संयुक्त राष्ट्र संघठन ने वर्ष १९७५ को 'अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में घोषित किया था। शांति, विकास और स्त्री-पुरुष समानता यह इस कार्यक्रम की त्रिसूत्री थी। भारत सरकार ने वर्ष १९७५ में डॉ. फुलरेणु गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उसका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएँ, स्त्रियों की रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उन्हें मिलने वाला वेतन (पुरुषों के संदर्भ में), स्त्री-पुरुष अनुपात, जन्म-मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया।

डॉ. फुलरेणु गुहा

इन सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में वर्ष १९७५ में 'स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति' की ओर से महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया था। वर्ष १९७८ में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इस घोषण पत्र में लिंगभेद, जातिभेद, वर्णभेद जैसे विषमतापूर्ण घटकों के विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने की नीति को स्वीकारा गया। इसी के परिणामस्वरूप, 'स्त्रीमुक्ति की ललकार' गीतसंग्रह, ज्योति म्हापसेकर का लिखा नुक्कड़ नाटक 'मुलगी झाली हो' (बेटी पैदा हुई जी) और मुखपत्र 'प्रेरक ललकारी' (प्रेरणादायी ललकार) जैसे उपक्रम प्रारंभ हुए। वर्ष १९७७ में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित 'स्त्रीमुक्ति आंदोलन समिति', 'बायजा' नामक द्विमासिक, औरंगाबाद में 'स्त्री उवाच', 'मैत्रीण', 'स्त्री अन्याय विरोधी मंच', कोल्हापुर में 'महिला दक्षता समिति', नाशिक में 'महिला हक्क', लातूर

में 'नारी प्रबोधन मंच' जैसे दल बन गए। संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियाँ स्थापित हुईं। धुले शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन किया गया था।

स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाल का 'नारी समता मंच' और 'मिळून साऱ्याजणी' (मिलकर हम सभी) पत्रिका, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संघटना, का भी कार्य महत्त्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगार गारंटी योजना ने महिला सशक्तीकरण में सहयोग प्रदान किया।

प्रमिला दंडवते ने वर्ष १९७६ में दिल्ली में 'महिला दक्षता समिति' की स्थापना की। इस समिति की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में शाखाएँ खुल गईं। कम्यूनिस्ट पार्टी ने वर्ष १९८० में 'अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन' स्थापित किया। इस संगठन की संपूर्ण भारत में शाखाएँ खोलने के प्रयास किए गए। संगठन ने दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा-अत्याचार जैसी समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ किया। महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं पर शोधकार्य शुरू हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई, टाटा समाज विज्ञान संस्था-मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, शिवाजी विश्वविद्यालय-कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। आलोचना और दृष्टि नाम के केंद्रों ने भी इस समस्या के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रमिला दंडवते

महिलाओं के संदर्भ में कानून : वर्ष १९५२ के कानून के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया। पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया गया। स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ। बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्त हुई और पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद (तलाक) का अधिकार दिया गया। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाला कानून बना। वह कानून है, 'दहेज प्रतिबंधित कानून-१९६१'। इस कानून के अनुसार दहेज लेना अथवा माँगना फौजदारी अपराध माना गया। दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएँ कम हुईं। आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति का अवकाश प्राप्त कराने वाला 'प्रसुति सुविधा अधिनियम' (मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट-१९६१) अस्तित्व में आया। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हो गया।

दहेज प्रथा के विरोध में जागृति: यद्यपि भारत में दहेज प्रतिबंधित कानून लागू है फिर भी समाचारपत्रों में ऐसे समाचार अवश्य छपते हैं। जैसे- 'रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु' अथवा 'कपड़े धोते समय पैर फिसलकर कुएँ में गिरने से महिला की मृत्यु'। इन घटनाओं की गहराई में जाकर जाँच-पड़ताल करने पर दहेज का कारण कई बार प्रकाश में आता है। इस प्रथा को लेकर पुलिस, प्रशासन, न्यायव्यवस्था ने भी अपनी भूमिकाएँ स्पष्ट की हैं। फलतः जनजागृति हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष १९८४ में 'दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियमन' अस्तित्व में आया। वर्ष १९८८ में २२०९ महिलाएँ, वर्ष १९९० में ४८३५ और वर्ष १९९३ में ५३७७ महिलाएँ दहेज की शिकार बनीं। इन आँकड़ों को देखें तो दहेज समस्या की ज्वलंतता हमारी समझ में आ सकती है।

पारिवारिक न्यायालय (१९८४) : विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद, घर-गृहस्थी से संबंधित समस्याएँ और कारण निर्माण होने वाले उसके प्रश्न, गुजारा भत्ता, एकल पालकत्व,

अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए है। इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जाँच-पड़ताल करने के स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर समुपदेशकों को प्रधानता दी गई है। मुआमलों को शीघ्रगति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर बल दिया गया है।

गुजारा भत्ते का मुकदमा (१९८५) : यदि किसी विवाहित स्त्री से उसका पति संबंध विच्छेद (तलाक) कर देता है तो उस स्त्री का गुजारा होने हेतु उसके पति को उसे प्रतिमाह निश्चित राशि देनी पड़ती है। इसे गुजारा भत्ता कहते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता माँगने का अधिकार है तथापि धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध हल्ला मचाया। परिणाम स्वरूप संसद में 'मुस्लिम वुमेन एक्ट' (प्रोटेक्शन ऑफ राईटस ऑन डाइवोर्स) पारित हुआ।

सती प्रतिबंधित कानून : ४ सितंबर १९८७ को राजस्थान के देवरा गाँव में रूपकुँवर नाम की विवाहिता सती हो गई। वह अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी। उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। उसका सती होना, सती प्रथा का उदात्तीकरण करना जैसी बातें गैरकानूनी थीं। मीना मेनन, गीता सेधू, सुजाता आनंदन, अनू जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्तियों और पत्रकारों ने इस कांड की जाँच-पड़ताल की। सरकार ने वर्ष १९८८ में कड़े प्रावधान कर 'सती प्रतिबंधित कानून' पारित किया।

मानवाधिकार रक्षा कानून: स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके, इसलिए वर्ष १९९३ में यह कानून बनाया गया। इसके लिए 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का गठन किया गया। इसी आधार पर कुछ राज्यों में 'राज्य मानवाधिकार आयोग' की स्थापना की गई। इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंध विच्छेदित (तलाकशुदा) महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाएँ और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की है।

महिलाओं के लिए आरक्षण : ७३ वें और ७४ वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगरपालिकाओं (नगरनिगम) में महिलाओं के लिए एक तिहाई (१/३) स्थान आरक्षित रखे गए हैं। सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर (मेयर) जैसे पदों के लिए भी एक तिहाई (१/३) पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। देश में महाराष्ट्र के साथ-साथ १५ राज्यों में महिलाओं के लिए ५०% आरक्षण दिया गया है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं को राज्य प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है।

स्वतंत्रता के बादवाले समय में भारतीय संविधान ने स्त्री-पुरुष समता के सिद्धांत को

क्या आप जानते हैं ?

भारत की महिला मुख्यमंत्री

सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), नंदिनी सत्पथी (ओडिशा), जयललिता (तमिलनाडु), मायावती (उत्तर प्रदेश), वसुंधरा राजे(राजस्थान), ममता बैनर्जी (प.बंगाल), राबड़ी देवी (बिहार), आनंदी बेन पटेल (गुजरात), शीला दीक्षित (दिल्ली), महबूबा मुफ्ती सईद (कश्मीर), उमा भारती (मध्य प्रदेश), राजेंद्र कौर भट्टल (पंजाब), सुषमा स्वराज्य (दिल्ली), शशिकला काकोड़कर (गोआ), सईदा अनवर तैमूर (असम), जानकी रामचंद्रन (तमिलनाडु) इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने - अपने प्रदेश का नेतृत्व किया है।

क्या आप जानते हैं ?

८ मार्च १८५७ को न्यूयॉर्क शहर में एक जुलूस निकला था। काम के घंटे कम करें और काम का उचित पारिश्रमिक मिले, पालना घर हों आदि माँगों के लिए निकला हुआ श्रमिक महिलाओं का जुलूस प्रथम जुलूस था। इन्हीं माँगों को लेकर ८ मार्च १९०९ को महिलाओं ने हड़ताल की। परिणामस्वरूप डेन्मार्क में हुए 'वुमेंस सोशलिस्ट इंटरनैशनल' की बैठक में यह दिन 'महिलाओं का संघर्ष दिवस' के रूप में घोषित हुआ। वर्ष १९७५ 'अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में संपन्न हुआ तो वर्ष १९७७ में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के आमसभा ने प्रस्ताव पारित कर ८ मार्च को 'विश्व महिला दिवस' के रूप में घोषित किया।

स्वीकार किया है। फलस्वरूप मतदान जैसा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। कानून ने सती, दहेज, बहुपत्नीत्व जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया। स्त्रियों के संबंध विच्छेद (तलाक) अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उन्हें संपत्ति में भी कानूनी हिस्सा दिया गया। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित साझेदारी देने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में कतिपय स्थान आरक्षित रखे गए। इन सभी प्रावधानों के फलस्वरूप आज हमें दिखाई देता है कि महिलाएँ शिक्षित होकर अर्थार्जन करने लगी हैं। नारी मुक्ति विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, अर्थार्जन, प्रशासन, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएँ बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं।

अनुसूचित जातियाँ : स्वातंत्र्योत्तर समय में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को अंगीकार किया है। उसी का अनुसरण करते हुए छुआ-छूत की प्रथा पर कानून ने प्रतिबंध लगाया है। संविधान के १७ वें अनुच्छेद के अनुसार छुआ-छूत प्रथा को समाप्त किया गया है और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वे अपना विकास साध्य कर सकें; इसके लिए उन्हें शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियाँ : अनुसूचित जातियों की तरह ही देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कतिपय समस्याएँ हैं। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है। वर्तमान समय में आदिवासी जनजातियों की स्थितियों में सुधार हो रहा है फिर भी वनोत्पादन और खेती के अतिरिक्त उनके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं हैं। खेती के आधुनिक औजार उन तक पहुँचे नहीं हैं। परिणामस्वरूप खेती से प्राप्त होने वाली आय अत्यल्प होती है। उनकी खेती भी पहाड़ के ऊपर भूमि पर होती है। वह उपजाऊ नहीं होती है। निकृष्ट और अपर्याप्त भोजन के कारण पोषण व्यवस्थित नहीं हो पाता है। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासियों को सही समय पर चिकित्सा की सहायता प्राप्त होना कठिन हो जाता है अतः आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में आदिवासियों की गणना 'अनुसूचित जनजातियों' में की जाती है। उन्हें विधि मंडल, शिक्षा, सरकारी सेवाओं आदि क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

घुमंतू और विमुक्त जातियाँ-जनजातियाँ 'घुमंतू जनजातियों' में उन जातियों-जनजातियों का सम ावेश होता है, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गाँव-गाँव घूमती रहती हैं। इस वर्ग के लोग पशुपालन और अन्य दूसरे स्वरूप के व्यवसाय कर अपनी जीविका चलाते हैं। अंग्रेजों ने इनमें से कुछ जनजातियों पर 'अपराधी जनजाति' इस प्रकार का ठप्पा लगाया था। अंग्रेजों ने वर्ष १८७१ के अपराध प्रतिबंधित

कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख 'अपराधी जनजाति' के रूप में किया था और उनके व्यवसाय तथा कार्यव्यापारों पर प्रतिबंध लगाया था।

स्वतंत्रता के पश्चात इस अन्यायकारी कानून को रद्द किया गया। इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए। ऐसी जनजातियों को 'विमुक्त जनजातियों' में समाविष्ट किया गया। उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्‌वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन जातियों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अल्पसंख्यक : किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है, उस समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषाएँ हैं। अतः भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएँ भी पाई जाती हैं। इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा का विकास कर सकें, इसके लिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी-अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त है। इस उद्‌देश्य को पूर्ण करने हेतु उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उनकी उन्नति हेतु सरकार द्‌वारा विविध योजनाएँ चलाई जाती हैं।

अगले पाठ में हम भारत द्‌वारा स्वातंत्र्योत्तर समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में की गई प्रगति की जानकारी प्राप्त करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

(१) वर्ष १९९२ में ....में शराब पान के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया गया।
(अ) महाराष्ट्र (ब) गुजरात
(क) आंध्र प्रदेश (ड) उत्तराखंड

(२) भारत सरकार ने वर्ष १९७५ में .... की अध्यक्षता में महिला आयोग की स्थापना की।
(अ) डॉ. फुलरेणु गुहा (ब) उमा भारती
(क) वसुंधरा राजे (ड) प्रमिला दंडवते

२. निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए ।

(१) सौदामिनी राव - नारीमुक्ति आंदोलन समिति
(२) विद्‌या बाल- नारी समता मंच
(३) प्रमिला दंडवते - महिला दक्षता समिति
(४) ज्योति म्हापसेकर - महिला आयोग

३. निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ।
(२) वर्ष १९८४ में दहेज प्रथा सुधार कानून बनाया गया।
(३) छुआ-छूत प्रथा पर कानून द्‌वारा प्रतिबंध लगाया गया।
(४) संविधान ने अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए हैं।

४. टिप्पणी लिखिए।

(१) चिपको आंदोलन
(२) मानवाधिकार संरक्षण कानून

५. निम्न प्रश्न का उत्तर विस्तार में लिखिए।

महिलाओं की एकत्रित शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने वाले परिवर्तन का निर्माण कर सकती है। इस कथन को विविध उदाहरणों द्‌वारा स्पष्ट कीजिए।

उपक्रम

१. ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली महिला सभाओं के कामकाज की जानकारी प्राप्त कीजिए।
२. विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं की जानकारीवाली संग्रहिका (portfolio) तैयार कीजिए।
३. महिला बचत गुट के कामकाज की जानकारी प्राप्त करके लिखिए।

7GJRJN